

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0002-नगर और प्रादेशिक आयोजन की स्थापना, विपत्र कोड सं०-48-2217800010002 के अन्तर्गत वेतनादि एवं अन्य विषय शीर्षों से कुल ₹24394000.00 (दो करोड़ तैंतालीस लाख चौरानवे हजार रु०) मात्र व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0002-नगर और प्रादेशिक आयोजन की स्थापना, विपत्र कोड सं०- 48-2217800010002 के अन्तर्गत वेतनादि एवं अन्य विषय शीर्षों में कुल ₹24394000.00 (दो करोड़ तैंतालीस लाख चौरानवे हजार रु०) मात्र निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

(राशि रूपये में)			
क्र० सं०	बजट शीर्ष 2217 का विषय शीर्ष	बजट उपबंध	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	0002.01.01- वेतन	10508000	10508000
2	0002.01.03- जीवन यापन भत्ता	7107000	7107000
3	0002.01.04- मकान किराया भत्ता	2102000	2102000
4	0002.01.05 - परिवहन भत्ता	426000	426000
5	0002.01.06 - चिकित्सा भत्ता	204000	204000
6	0002.01.07 - अन्य भत्ता	75000	75000
	योग-(क) वेतन एवं भत्ते	20422000	20422000
7	0002.05.01- पुरस्कार	12000	12000
8	0002.06.01- चिकित्सा प्रतिपूर्ति	300000	300000
9	0002.11.01- यात्रा व्यय	100000	100000
10	0002.13.01- कार्यालय व्यय	300000	300000
11	0002.13.03- दूरभाष	20000	20000
12	0002.13.06- वर्दी/पोशाक	40000	40000
13	0002.20.02- कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	100000	100000
14	0002.20.03- प्रशिक्षण व्यय	100000	100000

15	0002.28.02— संविदा सेवायें	3000000	3000000
	योग (ख)	3972000	3972000
	कुल योग (क+ख)	24394000	24394000

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹24394000.00 (दो करोड़ तैंतालीस लाख चौरानवे हजार रु०) मात्र।
इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

- उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 4 में स्वीकृत राशि की निकासी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना से की जाएगी। राशि का व्यय नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन, नगर विकास एवं आवास विभाग में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतनादि एवं अन्य मदों पर किया जायेगा। उक्त राशि किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। यह राशि, व्यय होते ही व्यय विवरणी बजट शाखा को उपलब्ध करा दी जाय।
- यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 236, दिनांक-09.03.2026 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।
- स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर विपत्र कोड सं०- 48-2217800010002 मांग सं०-48 मुख्यशीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विषय शीर्ष का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों के वर्गीकरण में त्रुटि की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2027 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब0/गै०यो०-16-01/17 के पृष्ठ सं०- 85 /टि० पर दिनांक-01.04.26 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-86 /टि० पर दिनांक-01.04.26 को प्राप्त है।
- इस स्वीकृत्यादेश की प्रति वित्त (बजट शाखा) विभाग एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/गै०यो०-16-01/17 - 02 /न०वि०एवं आ०वि०/पटना, दिनांक- 01.04.26

प्रतिलिपि:- वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाय।


सरकार के संयुक्त सचिव।